

एव

दिनांक 01/13  
21/2



सं. मु. अ. 33-4-2,000-10 सार (प)

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम

अति उच्च न्यायालय (दिल्ली)  
क्रिमिनल (सिविल)

*[Handwritten signature]*  
A P P  
crim

अज अज्ञात मुकाम

बलावीर सिंह बनाम लखन सिंह

क्रिमिनल अपील नं. 05 दि. 2013

तारीख  
हुआ

हुकम या कार्यवाही मध्य इनिशियल्स जज

सभ्य या तारीख  
अहकाम को दूर  
हुकम को तारीख  
में जारी हो

प.1.13 प्रार्थी के अ. उप. प्रार्थी द्वारा  
प्रस्तुत खराब प्रारंभिक  
रजिस्ट्र किया जाने। खराब  
प्रार्थना पर पर वकील अपील  
को एक तरफा सुना गया। खराब  
प्रारंभ में वाग्वैत कारण व परिस्थिति  
को इतिहास रखते हुए प्रत्यक्ष  
सामना प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने  
से जारी आदेश निम्न द्वारा  
अगामी पेशी तक रिकार्ड की  
यथास्थिति बजाये रखने के  
लिए पाबन्द किया जात है।  
प्रावली सूत्र प्रावली के साथ 70  
दि. 22-1-13 को पेश हो। 24/1/13

22/13 बार एवं के प्रतापानुसार डिफेंस  
मजकूरों को न्यायालयों को  
कार्य स्थगित कर दिया है

14/4/20

अपिपक्ता अपपक्ष अपस्थित। पुनर्वसु हेतु

समय चाद्य। पत्रावली काले पुनर्वसु

दिनांक 20/4/2020 को पेश है। ५

20/4/20

पत्रावली के अंतर्गत 20/4/20 को पेश है।

समाप्त रखा गया है। (क. अ. वि. अपस्थित)

पत्रावली पूर्व दिनांक 10/6/20 को पेश है।

01/6/20

वार सभ के द्वारा कार्य स्वगिर करके का कार्य  
आपको अपिपक्ता अपपक्ष अपस्थित का कार्य  
पीतासून अधिकारी .....  
हो बजावली दिनांक 2/7/20 को पेश है।

02/7/20

अधिपक्ता अपस्थित। अधिपक्ता अपस्थित  
अपस्थित नहीं। अधिपक्ता अपस्थित की वल्ल सुनी गई।  
मूल अपील के निर्णय उपरान्त विविध स्वगत अपस्थित  
पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। पत्रावली  
वास्ते अडिग दिनांक 13/7/20 को पेश है। ५

13/7/20

पत्रावली पेश हुई। वार सभ का कार्य स्वगिर  
किया हुआ है। अधिपक्ता अपस्थित के अन्य कार्यों में व्यस्त  
होने के कारण अडिग लिखाया नहीं जा सका। पत्रावली  
वास्ते वल्ल दिनांक 17/7/20 को पेश है। ५

17/7/20

पत्रावली पेश हुई। वार सभ का कार्य स्वगिर  
किया हुआ है। अधिपक्ता अपस्थित की वल्ल पूर्व में सुनी जा  
चुकी है। मूल अपील के निर्णय उपरान्त विविध स्वगत  
अपस्थित निष्पत्ती हो जाता है। विविध अपस्थित पत्र निष्पत्ती  
होने से स्पष्ट किया जाता है। पत्रावली कौंसल बुझा  
की जाकर डाकिल दफ्तर की जाये एवं बाड तत्काल  
जिला कमिश्नरियत में जमा कराई जाये।

अडिग सुनाया गया।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)  
श्रीगंगानगर